न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0 3, इलाहाबाद ।

जमानत प्रार्थना पत्र 2931/2021
सी0एन0आर नं0–यू0पी0ए0डी0–01005656–2021
मो0 आशू उर्फ आशिफ खान बनाम सरकार
धारा 379,411,414,419,420,467,468,471 भा0दं0सं0
थाना–खुल्दाबाद, जिला–प्रयागराज
मु0 अपराध संख्या 74/2021

दिनांक 02–07–2021

आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त मो0 आशू उर्फ आशिफ खान पुत्र मो0 असलम निवासी लोकपुर करबला अरैल मोड़ नैनी थाना–नैनी, जनपद –प्रयागराज की ओर से अपराध संख्या 74/2021 अन्तर्गत धारा 379,411,414,419,420,467,468,471 भा0दं0सं0 थाना–खुल्दाबाद, जिला–प्रयागराज जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी का कथन है कि दिनांक 21–03–2021 को लगभग शाम को 3 बजे खुसरोबाग स्टेशन के सामने किसी काम से आये थे लगभग 3 बजे शाम को खुशरो बाग गेट के बगल में खड़ी करके खुशरो बाग के अन्दर पढ़ाई के सम्बंध में टेस्ट देने अन्दर गया बाहर आने पर मेरी बाइक जिसका नं0 यू0पी0 70डी जेड 2630 चोरी हो गयी थी जो कि हीरो स्पेण्डर थी । अतः उचित कार्यवाही की जाय । तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा अज्ञात में दर्ज की गयी ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में फर्जी फंसाया गया है । प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है । प्रार्थी दिनांक 25–03–21 से जेल में निरूद्व है । प्रार्थी के पास से कोई भी वाहन बरामद नही हुआ है और न ही कोई अवैध सामग्री आदि बरामद हुई है । प्रार्थी का उपरोक्त वाहन से कोई लेना–देना नही है । जमानत के लिए प्रार्थना की गयी ।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के निशान देही से वाहन बरामद हुआ है । यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व फरार होने की प्रबल सम्भावना है । जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा अभिलेख का सम्यक् परिशीलन किया।

अवलोकित तथ्यों से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात धारा 379 भा0दं0सं0 में दर्ज है । अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में फर्जी फंसाया गया है अवलोकित तथ्यों से यह भी विदित होता है कि फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है । सम्बंधित थाने की आख्या में 6 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रेषित किया गया है जो एक ही समय के अज्ञात दर्ज मुकदमें में संलिप्तता कही गयी है और उन सभी में अभियुक्त की जमानत मंजूर हो चुकी है, कहा गया है तथा जमानत आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की गयी है । अभियुक्त दिनांक 25–02–2021 से जेल में निरूद्व है ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों,परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व उसमें प्रदत्त दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए इस न्यायालय के मत में जमानत का आधार पर्याप्त है ।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन पचास हजार रूपयें की धनराशि के निजी बन्ध–पत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग कि आवेदक जमानत पर होने के पश्चात नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होगा, विचारण में सहयोग करेगा, साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ नही करेगा तथा जमानत पर रिहा होने के पश्चात ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा, दाखिल करने पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये ।

(संजय कुमार शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0 3
इलाहाबाद ।

(यू0पी0 आई.डी. नं0–2184)